भारतीय तेल निगम लिमिटेड। इसके माध्यम से यह महत्वपूर्ण है

प्रबंधक

वी.

मेसर्स श्री गणेश पेट्रोलियम राजगुरुनगर

इसके मालिक श्री के माध्यम से। लैक्समैन डागडू थाइट

(सिविल अपील सं। 837-838 2022 का)

फरवरी 1,2022

[इंदिरा बनर्जी और अभय एस. ओका, जे. जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996: एसएस। 34 , 37 – मध्यस्थता पुरस्कार-अलग करना-पार्टियों ने दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए,

मध्यस्थ को विवाद के संदर्भ के लिए अलग प्रावधान वाले डीलरशिप समझौते और पट्टा समझौते-अपीलार्थी द्वारा डीलरशिप समझौते की समाप्ति-एक व्यक्ति की नियुक्ति

समझौते के संदर्भ में मध्यस्थ-मध्यस्थ ने यह मानते हुए एक पुरस्कार पारित किया कि डीलरशिप की समाप्ति वैध थी, और

मासिक पट्टा किराया बढ़ा दिया और पट्टा चुनौती की अवधि को कम कर दिया, अपीलार्थी और प्रतिवादी द्वारा-उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और अपीलार्थी की अपील को यह मानते हुए खारिज कर दिया कि जिला अदालत के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी

पुरस्कार में हस्तक्षेप-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण

निर्विवाद रूप से अवैध जहां मध्यस्थता न्यायाधिकरण अनुबंध की विशिष्टताओं के संदर्भ में कार्य करने में विफल रहा है-एक मध्यस्थता न्यायाधिकरण एक विवाद का निर्णय लेते समय एक अनुबंध के नियमों और शर्तों की व्याख्या करने का हकदार है-एक मामले में एक अनुबंध की व्याख्या में त्रुटि जहां एक मध्यस्थता न्यायाधिकरण को मध्यस्थता विवादों का वैध और वैध प्रस्तुत करना अधिकार क्षेत्र के भीतर एक त्रुटि है। किसी विवाद का न्यायनिर्णयन-न्यायालय मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय पर अपील में नहीं बैठता है, न्यायालय सामान्य रूप से हस्तक्षेप नहीं करता है।

मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा संविदात्मक प्रावधान की की गई व्याख्या के साथ, जब तक कि ऐसी व्याख्या स्पष्ट रूप से अनुचित या विकृत न हो-जहां तक यह पट्टे के किराए से संबंधित है, तब तक विवादित निर्णय और

पट्टा अवधि स्पष्ट रूप से डीलरशिप समझौते के संदर्भ में नियुक्त मध्यस्थ की क्षमता के दायरे से बाहर है-एक

मध्यस्थ न्यायाधिकरण, या उस मामले के लिए, न्यायालय शर्तों को बदल नहीं सकता है

450 आईओसीएल टीएचआर। आईटीएस एसआर। एमएनजीआर। वी. मेसर्स श्री गणेश पेट्रोलियम राजगुरुनगर टीएचआर। यह प्रोप है। एम. आर. लैक्समैन डागडू थाइट

और पार्टियों के बीच अपनी आंखें खुली रखते हुए निष्पादित एक वैध अनुबंध की शर्तें

जहाँ तक पट्टे के किराए से संबंधित है, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर दिया गया है और पट्टा अवधि।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 पट्टा समझौता और डीलरशिप

समझौते अलग-अलग समझौते हैं, जो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। पट्टा समझौते के तहत विवाद अपीलार्थी के प्रबंध निदेशक के मध्यस्थता के लिए संदर्भित थे, जो एकमात्र मध्यस्थ होना था, और केवल तभी जब प्रबंध निदेशक एकमात्र मध्यस्थ के रूप में कार्य करने में असमर्थ या अनिच्छुक था, विवादों को उसके स्थान पर प्रबंध निदेशक द्वारा नामित या नामित एकमात्र मध्यस्थ को भेजा जाना था। यदि विवादों को किसी भी कारण से प्रबंध निदेशक के पास नहीं भेजा जा सकता था, तो मामले को मध्यस्थता के लिए बिल्कुल भी नहीं भेजा जाना था। तत्काल मामले में, प्रतिवादी ने डीलरशिप के तहत मध्यस्थता खंड का आह्वान किया

समझौता किया और अपीलार्थी के निदेशक (विपणन) से संपर्क किया जिन्होंने श्री बी. एल. परिहार को एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया। मध्यस्थ, श्री बी. एल. परिहार, निदेशक द्वारा नामित (अपीलार्थी के विपणन) के पास पट्टा समझौते से संबंधित किसी भी विवाद पर निर्णय लेने का कोई अधिकार और/या अधिकार क्षेत्र नहीं था। [पैरा 32,33] [476-सी-एफ]

1.2 जहाँ तक पट्टा किराया और/या के संबंध में विवाद हैं

पट्टा विलेख की किसी भी अन्य शर्तों का संबंध था, उच्च न्यायालय स्पष्ट रूप से गलत आधार पर आगे बढ़ा कि अपीलार्थी ने पट्टा समझौते के संबंध में विवादों पर विचार करने और निर्णय लेने के लिए मध्यस्थ की क्षमता या प्राधिकरण या अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति नहीं जताई थी, अपीलार्थी द्वारा अपने जवाबी बयान में किए गए विशिष्ट कथनों की अनदेखी करते हुए। अपने जवाबी बयान में, अपीलार्थी ने विशेष रूप से कहा था कि हर तीन साल में 20 प्रतिशत की वृद्धि के साथ पट्टे के किराए में वृद्धि का दावा करने वाली प्रत्यर्थी की वैकल्पिक प्रार्थना मध्यस्थता कार्यवाही के दायरे से बाहर थी। अपीलार्थी ने यह भी स्पष्ट रूप से कहा कि उसके द्वारा निष्पादित पंजीकृत पट्टा विलेख को चुनौती दिए बिना, प्रत्यर्थी पट्टा विलेख की शर्तों को संशोधित करते हुए मध्यस्थ का आदेश नहीं ले सकता है। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से इस तथ्य की भी अनदेखी की कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण का मासिक पट्टा किराया [2022] 16 एस. सी. आर. से बढ़ाने का अधिकार क्षेत्र।

Rs.1750/- प्रति माह से Rs.35,000/- प्रति माह विशेष रूप से मध्यस्थ के समक्ष जारी किया गया था जैसा कि विवादित निर्णय से स्पष्ट है।

[पैरा 39,40,41] [478-ई-एच; 479-ए]

1.3 एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण अनुबंध का एक प्राणी होने के नाते, उस अनुबंध के संदर्भ में कार्य करने के लिए बाध्य है जिसके तहत इसका गठन किया गया है। अ. पुरस्कार को स्पष्ट रूप से अवैध कहा जा सकता है जहां मध्यस्थ न्यायाधिकरण अनुबंध के संदर्भ में कार्य करने में विफल रहा है या अनुबंध की विशिष्ट शर्तों की अनदेखी की है। एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण को किसी विवाद का निर्णय लेते समय अनुबंध के नियमों और शर्तों की व्याख्या करने का अधिकार है।

किसी ऐसे मामले में अनुबंध की व्याख्या में त्रुटि जहां मध्यस्थता न्यायाधिकरण को मध्यस्थता विवादों को वैध और वैध रूप से प्रस्तुत किया जाता है, अधिकार क्षेत्र के भीतर एक त्रुटि है। [पैरा 44,45] [479-जी; 480 ए-बी]

एक संविदात्मक के मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा की गई व्याख्या के साथ प्रावधान, जब तक कि ऐसी व्याख्या स्पष्ट रूप से अनुचित या विकृत न हो। जहाँ एक संविदात्मक प्रावधान अस्पष्ट है या है

एक से अधिक तरीकों से व्याख्या करने में सक्षम, न्यायालय मध्यस्थता निर्णय में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, केवल इसलिए कि न्यायालय की राय है कि एक और संभावित व्याख्या बेहतर होती। [पैरा 46] [480-सी]

1.5 मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकला है कि डीलरशिप समझौते की कोई भी शर्त अनुचित थी और

मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने डीलरशिप समझौते को समाप्त करने में हस्तक्षेप नहीं किया है। अपीलार्थी और प्रत्यर्थी ने अपनी आँखें खुली रखते हुए पट्टा समझौता किया। प्रत्यर्थी के पास यह विकल्प था कि वह अपनी संपत्ति अपीलार्थी को पट्टे पर न दे। संपत्ति के मालिक की स्थिति, उसकी संपत्ति के संबंध में पट्टा समझौते को निष्पादित करने की स्थिति को अनुबंध के बराबर नहीं माना जा सकता है - एक कर्मचारी और एक शक्तिशाली नियोक्ता द्वारा और उनके बीच निष्पादित रोजगार, जहां कर्मचारी के पास नियोक्ता द्वारा दिए गए नियमों और शर्तों को स्वीकार करने के अलावा बहुत कम विकल्प होते हैं। [पैरा 57,58] [483 सी-ई]

1.6 उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है। जिला न्यायालय का विवादित निर्णय जहाँ तक उसी का संबंध है

पट्टे के किराए से संबंधित है और पट्टे की अवधि भी अलग रखी गई है।

आईओसीएल टीएचआर। आईटीएस एसआर। एमएनजीआर। वी. मेसर्स श्री गणेश पेट्रोलियम राजगुरुनगर टीएचआर। यह प्रोप है। एम. आर. लक्ष्मण दगडू थीटी

दिनांकित 04.11.2010 का विवादित पुरस्कार इस हद तक अलग रखा जाता है कि मध्यस्थ ने प्रत्येक तीन वर्ष में 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ प्रश्न का मासिक पट्टा किराया Rs.1750/- से Rs.10000/- तक बढ़ा दिया है।

विक्रेता और इस हद तक कि मध्यस्थ ने पी को कम कर दिया है

29 वर्ष से लेकर 19 वर्ष और 11 महीने तक का पट्टा। [पारः 61] [484 - ए-सी]

एम. डी. सेना कल्याण आवास संगठन बनाम। सुमंगल सर्विस (पी) लिमिटेड (2004) 9 एस. सी. सी. 619 [2003] 4 पूरक। एस. सी. आर. 385 पर भरोसा किया।

एसोसिएट बिल्डर्स बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण

(2015) 3 एससीसी 49: [2014] 13 एससीआर 895-प्रतिष्ठित।

केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड

और एन. आर. वी. ब्रोजो नाथ गांगुली और अन्र। (1986) 3 एससीसी

156 [1986] 2 एस. सी. आर. 278-लागू नहीं होता है।

राहुल यादव और अन्र। वी. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य। (2015) 9 एससीसी 447 [2015] 7 एससीआर 978; मुकुंद स्वरूप मिश्रा बनाम। भारत संघ (यू. ओ. आई.) और अन्य। (2007) 2 एससीसी 536: [2007] 1 एससीआर 825; पीएसए एस. आई. सी. ए. एल. टर्मिनल्स प्रा. लिमिटेड वी. वी. ओ. चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट तूतीकोरिन और अन्य के न्यासी मंडल। (2021) ए. आई. आर. 4661; सांगयोंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड वी. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (2019) 15 एससीसी 131: [2019] 7 एस. सी. आर. 522; सत्यनारायण कंस्ट्रक्शन कं. भारत संघ और ओआरएस। (2011) 15 एस. सी. सी 101 -

संदर्भित किया गया।

संवैधानिक सर्वोच्चता-एक समीक्षा, निबंध

संविधानवाद, कानून का शासन और संवैधानिकता

श्री वी. सुधीश पाई द्वारा निर्णय-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2015] 7 एससीआर 978

संदर्भित किया गया है

पैरा

15

[2007] 1 एससीआर 825

संदर्भित किया गया है

पैरा

20

[2014] 13 एससीआर 895

प्रतिष्ठित

पैरा

42

[2019] 7 एससीआर 522

संदर्भित किया गया है

पैरा 50

[2022] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2003] 4 पूरक। एससीआर 385

उस पर भरोसा करें

पैरा

53

[1986] 2 एससीआर 278

अप्रयोज्य रखा गया

पै

रा 55

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। 837

838 2022 तक।

उच्च न्यायालय के 11.09.2015 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2013 की मध्यस्थता अपील सं. 19 और 2013 की मध्यस्थता अपील सं. 39 में बॉम्बे में न्यायिक कार्य।

अमित मेहरिया, सुश्री तनिष्ठा सिंह, अविनाश अग्रवाल, सुश्री नेहा

मानिकतला, एम/एस। मेहरिया एंड कंपनी, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

श्रीमती वी. डी. खन्ना, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

इंदिरा बनर्जी, जे.

छुट्टी दे दी गई।

2. ये अपीलें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा दायर की गई हैं।

बॉम्बे में उच्च न्यायालय द्वारा 11 सितंबर 2015 को पारित एक निर्णय और आदेश ने प्रतिवादी द्वारा दायर 2013 की मध्यस्थता अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी और अपीलार्थी द्वारा दायर 2013 की मध्यस्थता अपील को खारिज कर दिया।

3. इन अपीलों को जन्म देने वाले तथ्यों को बहुत संक्षेप में बताया गया है।

इसके बाद।

4. अपीलार्थी ने भूमि का एक भूखंड ले लिया, जिसे इसके बाद कहा गया है -

" 20 सितंबर 2005 के पट्टे के विलेख के अनुसार, 29 साल की अवधि के लिए प्रत्यर्थी से पट्टे पर कथित परिसर जो अपने पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के लिए एक खुदरा दुकान स्थापित करने के लिए विधिवत पंजीकृत किया गया था।

5. पट्टा विलेख का पाठ, अन्य बातों के साथ, दर्ज करता हैः

" 1) ..... उपर्युक्त संपत्ति का स्वामित्व श्री के पास है।

लक्ष्मण डगडू थिट्टे। उक्त पट्टे पर दी गई संपत्ति अधिक है

विशेष रूप से नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित है

अब उस पर खड़ी संरचनाओं और इमारतों के साथ या जिसे बाद में लेसी द्वारा उस पर खड़ा किया जा सकता है

इसके बाद मैंने इसके लिए परिसर को ध्वस्त कर दिया।

संक्षिप्तता के रूप में संदर्भित ("DEMISED PREMISES") 29 (बीस नौ वर्ष, आई. ओ. सी. एल. टी. एच. आर.) की अवधि के लिए एल. ई. एस. ई.

आईटीएस एसआर। एमएनजीआर। वी. मेसर्स श्री गणेश पेट्रोलियम राजगुरुनगर टीएचआर। यह प्रोप है। एम. आर. लक्ष्मण डगडू थाइट [इंदिरा बनर्जी, जे.]

एसईपीटीईएमईबीआर 2005 के 20 वें दिन से शुरू

अक्षय और निर्धारणीय जैसा कि इसके बाद प्रदान की गई उपज

और उक्त अवधि के दौरान मासिक रूप से और एक महीने के किसी भी हिस्से के लिए आनुपातिक रूप से रुपये का किराया का भुगतान करना। 1750 /

- (एक हजार सात और केवल पचास रुपये) का भुगतान प्रत्येक कैलेंडर महीने के 15 वें दिन या उससे पहले बिना किसी कटौती के किया जाना है।

6. पट्टा विलेख, जिसे इसके बाद "पट्टा पत्र" के रूप में संदर्भित किया गया है, में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित नियम और शर्तें शामिल हैं:

" 2) द लेसी डॉथ हैरीबी कोवेनेंट के साथ

अनुचर/अनुचर के रूप में:

i) पट्टे का किराया रु। 1750 / - (रुपया एक हजार सात सौ और केवल पचास) प्रति

महीना।

3) पट्टे की अवधि 15/04/2005 से 29 वर्ष होगी।

आपसी सहमति से और नवीनीकरण।

4.) (ई) भवनों का उपयोग करने या उपयोग करने की अनुमति देना और

पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम उत्पाद, तेल और संबंधित मोटर सहायक उपकरण, पेट्रोल भरने की सेवा और स्नेहन केंद्र आदि में भंडारण, बिक्री या अन्यथा व्यवसाय करने सहित किसी भी और सभी वैध उद्देश्यों के लिए प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर अनुमति दी जा सकती है।

कथित पद का निर्धारण जैसा कि यहाँ एक साथ प्रदान किया गया है ऐसे राज्य में सभी लेसर/एस फिक्स्चर और फिटिंग और

समान स्थिति तब थी जब उक्त अवधि के प्रारंभ में एल. ई. एस. एस. ई. ई. द्वारा कब्जा ले लिया गया था (उचित क्षति और हानि और/या आग, तरल पदार्थ, भूकंप, तूफान, बिजली, किसी भी सेना, भीड़ की हिंसा या अप्रतिरोध्य भीषण या दुर्घटना की उम्मीद)।

परिवर्तन, स्थापना (फिटिंग और फिक्स्चर जो उक्त अवधि के दौरान या उनके किसी भी नवीनीकरण के दौरान एल. ई. एस. एस. ई. ई. से संबंधित हैं और उन्हें वापस कर दिया जाता है जो उन्हें वापस लेने का हकदार होगा।

बशर्ते कि भुगतान की गई शर्तों को उनकी मूल स्थिति और शर्तों पर बहाल किया जाता है और LESSOR/S के पास नहीं होगा

उस पर कोई अधिकार, अधिकार और ब्याज और न ही वह/वह/वे उसके किसी भी हिस्से को बनाए रखने या उपयुक्त बनाने के हकदार होंगे।

3) (ख) कि एल. ई. एस. एस. ई. द्वारा एतद्वारा आरक्षित किराए का भुगतान करने और इसमें पहले से निहित और अपनी ओर से पालन और निष्पादित की जाने वाली सभी कई वाचाओं, शर्तों और समझौतों का पालन करने और उनका पालन करने पर, एल. ई. एस. एस. ई., उक्त अवधि और उसके किसी भी नवीनीकरण के दौरान, एल. ई. एस. एस. आर./एस. द्वारा या एल. ई. एस. एस. आर./एस. के लिए कानूनी रूप से या न्यायसंगत रूप से ट्रस्ट के माध्यम से, उसके तहत या उसके माध्यम से दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की छूट या बाधा के बिना, शांतिपूर्ण ढंग से रखेगी और उसका लाभ उठाएगी।

... .

यदि किराया इसके द्वारा आरक्षित या उसका कोई हिस्सा होगा

4) (अ)

देय होने के बाद और मांग किए जाने के बाद एक वर्ष की अवधि के लिए बकाया होगा या यदि एल. ई. एस. एस. ई. का पालन किया जाए और उनका पालन किया जाए और उस स्थिति में बाद में किसी भी समय एल. ई. एस. एस. ओ. के लिए उक्त परिसर या उसके किसी भी हिस्से में पूरे के नाम पर फिर से प्रवेश करना वैध होगा और -

उनके सभी पूर्व राज्य और ब्याज की तरह रखने और आनंद लेने के लिए कार्रवाई करें जो हमेशा प्रदान किया जाता है और यह इसके द्वारा सहमत है और

घोषणा की कि यहाँ ऊपर निहित पुनः प्रविष्टि की शक्ति का प्रयोग तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि एल. ई. एस. एस. एल. ई. एस. एस. ई. ई. एस. ई. ई. एस. ई. एस. ई. ई. एस. ई. एस. ई

(ई) एल. ई. एस. सी. ई. किसी भी व्यक्ति आई. ओ. सी. एल. टी. एच. आर. को असाइन, ट्रांसफर, सबलेट, अंडरलेट या किसी भी हिस्से के साथ डी. एम. आई. एस. ई. या उसके किसी भी हिस्से के कब्जे का हकदार होगा।

आईटीएस एसआर। एमएनजीआर। वी. मेसर्स श्री गणेश पेट्रोलियम राजगुरुनगर टीएचआर। यह प्रोप है। एम. आर. लक्ष्मण डगडू थाइट [इंदिरा बनर्जी, जे.]

ऊपर का नाम जिसे भी वह बिना सहमति के चुनता है

विद्वान।

(च) एल. ई. एस. एस. ई. को लेसर की सहमति के बिना किसी भी डीलर, एजेंट, लाइसेंसधारी और अन्य अधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने, हटाने, पुनर्नियुक्ति करने, बदलने और प्रतिस्थापित करने का अधिकार होगा।

(एन) हमेशा प्रदान किया जाता है और यह सहमति और घोषणा की जाती है कि 30 साल की उक्त अवधि की समाप्ति पर इस पट्टा को आपसी सहमति से आगे की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाएगा। नवीनीकृत पट्टा किराए, परिवहन, शर्तों और पारस्परिक रूप से सहमत होने वाले समझौतों पर होगा।

दलों के बीच।

5. किसी भी प्रकार का कोई विवाद या अंतर जो भी हो

इनमें से किसी भी पक्ष के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी अधिकार, दायित्व, अधिनियम, चूक के संबंध में एल. ई. एस. एस. ई. ई. के प्रबंध निदेशक के एकमात्र मध्यस्थ को भेजा जाएगा और यदि प्रबंध निदेशक असमर्थ या अक्षम है।

एकमात्र मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए तैयार नहीं होने पर मामला किसी अन्य व्यक्ति के एकमात्र मध्यस्थ को भेजा जाएगा।

या ऐसे प्रबंध निदेशक द्वारा अपने स्थान पर नामित किया जाता है और एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए राज्य लेखन और LESSOR/S इस आधार पर ऐसे किसी भी मध्यस्थता पर कोई आपत्ति उठाने का हकदार नहीं होगा कि, इस प्रकार नियुक्त मध्यस्थ एक अधिकारी है

ऐसा अधिकारी जिसके रूप में उसने उन मामलों से निपटा था जिनसे विवाद संबंधित थे या अपने विचार व्यक्त किए थे उस पर मध्यस्थ जिसे मामला मूल रूप से संदर्भित किया गया था

अपने पद में स्थानांतरित होने या खाली होने पर, किसी भी कारण से कार्य करने में असमर्थ होने पर, जैसे कि कार्यालय के ऐसे स्थानांतरण अवकाश के समय उपरोक्त प्रबंध निदेशक या कार्य करने में असमर्थ होने पर, इस खंड के अनुसार मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नामित करेगा और ऐसा अन्य व्यक्ति उस बिंदु से संदर्भ के साथ आगे बढ़ने का हकदार होगा जिस पर वह अपने पूर्ववर्ती द्वारा छोड़ा गया था। यह स्पष्ट रूप से सहमत है कि के प्रबंध निदेशक के अलावा कोई अन्य व्यक्ति नहीं उपरोक्त एल. ई. एस. एस. ई. ई. एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा और यदि [2022] 16 एस. सी. आर. के लिए।

कोई भी कारण जो संभव नहीं है, मामले को मध्यस्थता के लिए बिल्कुल नहीं भेजा जाएगा। इस प्रकार नियुक्त मध्यस्थ का पुरस्कार दोनों पक्षों के लिए अंतिम, निर्णायक और बाध्यकारी होगा और ऐसा मध्यस्थता मध्यस्थता अधिनियम 1940 के प्रावधानों और उसके किसी भी सांविधिक संशोधन अधिनियम के अधीन और उसके अनुसार आयोजित किया जाएगा।

7. अपीलार्थी ने उक्त परिसर में लगभग 1 लाख रुपये के निवेश के साथ एक साइट खुदरा दुकान की स्थापना की। उत्तरदाता था

उक्त खुदरा दुकान के एक विक्रेता और एक डीलरशिप समझौते पर हस्ताक्षर किए

15 नवंबर 2006 को अपीलार्थी द्वारा और उसके बीच निष्पादित किया गया था

उत्तरदाता नहीं।

8. विक्रेता समझौता, अन्य बातों के साथ-साथ,

प्रदान किया गयाः

" और जहाँ निगम वहन करता है

गायन-

पाठ

शोधन और बिक्री के व्यवसाय पर

पेट्रोलियम उत्पाद और विशेष रूप से

मोटर स्पिरिट (एमएस) और हाई स्पीड डीजल

तेल (एचएसडी):

और क्योंकि निगम भूमि के भूखंड का मालिक/पट्टेदार/किरायेदार/लाइसेंसधारी है और पहली अनुसूची में विशेष रूप से वर्णित अधिरचनाओं का मालिक/पट्टेदार/किरायेदार/लाइसेंसधारी है।

1 सेंट

अनुसूची

इसके तहत लिखित और संरचनाओं के बारे में

उस पर (इसके बाद सामूहिक रूप से "परिसर" के रूप में संदर्भित) और दूसरी अनुसूची में वर्णित उपकरण और उपकरण (जिसे इसके बाद "आउटलेट" कहा जाता है) को उक्त परिसर में और उसके नीचे स्थापित किया है और/या स्थापित करने वाला है।

जबकि विक्रेता के अनुरोध पर निगम ने नियुक्त करने पर सहमति व्यक्त की है

अनुसूची

कुछ पेट्रोलियम उत्पादों की उक्त परिसरों में खुदरा बिक्री या आपूर्ति के लिए विक्रेता के रूप में और इसके बाद की शर्तें शामिल हैं।

.....

आईओसीएल टीएचआर। आईटीएस एसआर। एमएनजीआर। वी. मेसर्स श्री गणेश पेट्रोलियम

राजगुरुनगर टीएचआर। यह प्रोप है। एम. आर. लैक्समैन डागडू थाइट

[इंदिरा बनर्जी, जे।]

2.यह समझौता लागू रहेगा क्योंकि

अवधि

15 वें दिन से पंद्रह साल की अवधि

नवंबर 2006 और उसके बाद के लिए जारी है प्रत्येक वर्ष की क्रमिक अवधि

तीन देकर किसी भी पक्ष द्वारा निर्धारित किया गया

उसके दूसरे को लिखित में महीनों का नोटिस

इस समझौते को समाप्त करने का इरादा और

ऐसी किसी सूचना की समाप्ति पर, यह

समझौता रद्द कर दिया जाएगा,

बशर्ते कि इसमें कुछ भी शामिल न हो

खंड और दोनों में से किसी एक के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव यहाँ के पक्ष इसे समाप्त करने के लिए हैं

अपने अधिकारों के प्रयोग में पहले समझौता

में निहित किसी भी प्रावधान के तहत

इस समझौते और/या के अधिकार

निगम को रोकना और/या निलंबित करना और /

या विक्रेता को आपूर्ति को सीमित करें और /

या विक्रेता द्वारा परिसर से बिक्री

उस में निहित प्रावधानों के अनुसार

इस समझौते में।

4. निगम के पास अधिकार सुरक्षित है

निगम का

के संदर्भ या सहमति के बिना

नियुक्ति का

अधिकार

एक या अधिक अतिरिक्त नियुक्त करने के लिए विक्रेता

अतिरिक्त

उसी शहर/क्षेत्र या स्थान पर विक्रेता

विक्रेता/ओं

और ऐसे अतिरिक्त विक्रेता होंगे

उत्पादों की बिक्री करने का अधिकार विक्रेता से किसी भी आपत्ति के बिना और

विक्रेता को कुछ भी करने का अधिकार नहीं होगा।

पारिश्रमिक, कमीशन के लिए दावा या

बिक्री के संबंध में जो भी भत्ता हो

ऐसे अतिरिक्त विक्रेताओं और/या

निगम द्वारा इस तरह की बिक्री

अतिरिक्त विक्रेता/विक्रेता।

7. (क) विक्रेता वचन देता है कि वह और उसके सेवक और प्रतिनिधि न्यायालय की रिपोर्टों का निरीक्षण करेंगे और उनकी अध्यक्षता करेंगे।

पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 और विस्फोटक अधिनियम, 1884 के प्रावधानों और तत्काल प्रभाव से लागू होने वाले किसी भी वैधानिक पुनर् अधिनियमन या संशोधन और उसके तहत बनाए गए सभी नियमों और विनियमों और अन्य सभी सरकारी या नगरपालिका स्थानीय या इसी तरह के अधिनियमों, कानूनों, विनियमों और उपनियमों का पालन करना। उक्त उत्पादों में विक्रेता के व्यवसाय और इस समझौते के तहत विचार किए गए भंडारण, रसीद और परिवहन और अन्य संबंधित मामलों से संबंधित कानून, जो समय-समय पर लागू हो सकते हैं और सभी की सभी आवश्यकताएं और आवश्यकताएं।

पूर्वगामी के अधीन नियुक्त प्राधिकारी

अधिनियम, नियम या विनियम। यदि विक्रेता, उसके सेवकों और उपरोक्त के एजेंटों की ओर से कोई उल्लंघन होता है।

प्रावधानों या वैधानिक नियमों और विनियमों के अनुसार, निगम को आपूर्ति बंद करने और इस समझौते की समाप्ति सहित कोई भी अन्य कार्रवाई करने का पूर्ण अधिकार होगा, जैसा कि निगम अपने पूर्ण विवेक से उचित समझेगा।

(ख) विक्रेता किसी भी उल्लंघन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा या स्वयं, उसके कर्मचारियों, केंद्र और/या राज्य सरकार और/या नगरपालिका स्थानीय और/या अन्य के किसी भी अधिनियम, नियम, विनियमन या उप कानूनों के एजेंटों द्वारा उल्लंघन

पूर्वगामी की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संबंधित प्राधिकारी जो व्यवसाय पर लागू हो सकते हैं, पेट्रोलियम अधिनियम, मजदूरी भुगतान अधिनियम, दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम, कारखाने अधिनियम और श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत क्रमशः नियुक्त अधिकारी।

विस्फोटक अधिनियम, 1884 या कोई अन्य अधिनियम या सांविधिक नियम, विनियम या आईओसीएल टीएचआर द्वारा।

आईटीएस एसआर। एमएनजीआर। वी. मेसर्स श्री गणेश पेट्रोलियम

राजगुरुनगर टीएचआर। यह प्रोप है। एमआर। लैक्समैन डागडू थाइट

[इंदिरा बनर्जी, जे।]

इसके तहत बनाए गए कानून और/या लागू

समय-समय पर भंडारण के व्यवसाय के लिए

और संबंध में लगे लोग इसके साथ और निगम नहीं होगा

किसी भी प्रकार की देनदारियों के लिए जिम्मेदार

विक्रेता द्वारा गैर-अनुपालन के कारण उत्पन्न होना

उसी के साथ।

... .

8 (ई) उक्त परिसर के उपयोग के लिए

लाइसेंस शुल्क

उस पर निर्माण सहित और

पोशाक, विक्रेता को भुगतान करना होगा

और इस तरीके से वसूल या कटौती की गई निगम द्वारा जैसा कि तय किया जा सकता है,

इसका एकमात्र विवेक और बिना किसी पूर्व निर्णय के

विक्रेता को समय-समय पर सूचना दी जाएगी और हर समय वृद्धि का हकदार होगा या

उक्त लाइसेंस शुल्क को संशोधित या संशोधित करें।

8 (जे) विक्रेता द्वारा यह समझा जाता है कि

विक्रेता को

पहली अनुसूची में उल्लिखित परिसर

सुरक्षा

इसके तहत लेखक सार्वजनिक परिसर में हैं।

निगम का अधिकार

जनता के प्रावधानों का अर्थ

परिसर में

परिसर (अनधिकृत लोगों को बेदखल करना)

रहने वाले)।

10. यह विशेष रूप से सहमत और घोषित है

कि अनुदान की मूल शर्त

न्यूनतम

निगम द्वारा विक्रेता अधिकार

मात्रा/बिक्री

यहाँ विक्रेता यह है कि 'विक्रेता इसके द्वारा

लक्ष्य

सहमति, उपक्रम और उत्थान के लिए वाचा और निम्नलिखित न्यूनतम के लिए भुगतान करें

प्रति माह उत्पाद की मात्रा

यहाँ नीचे निर्दिष्ट किया गया है।

उत्पाद

गुणवत्ता

एमएस (पेट्रोल)

30 केएलएस

एचएसडी

150 केएलएस

मोटर ऑयल/ग्रीस

के. एल./केजी

अन्य उत्पाद अर्थात।

निगम को समय-समय पर लिखित सूचना द्वारा उपरोक्त न्यूनतम मात्राओं/बिक्री लक्ष्यों को संशोधित करने का पूर्ण अधिकार होगा और ऐसे प्रत्येक संशोधन पर इस खंड को पढ़ा और समझा जाएगा जैसे कि ऐसे संशोधित आंकड़ों का उल्लेख यहाँ ऊपर दिए गए आंकड़ों के बजाय यहाँ किया गया था। यह भी विशेष रूप से सहमत है कि विक्रेता के लक्ष्य को प्राप्त नहीं करने की स्थिति में

इस समझौते की मुद्रा के दौरान लगातार छह महीनों में से तीन के दौरान किसी भी समय उपरोक्त न्यूनतम मात्राओं का निगम हकदार होगाः

के संबंध में इस शर्त की किसी भी स्वीकृति या छूट के बावजूद

अधिक महीने और

किसी को भी

या

यहाँ निहित किसी अन्य प्रावधान के बावजूद, इस समझौते को समाप्त करने के लिए

विक्रेता को लिखित रूप में 30 दिनों का नोटिस देना।

.....

15. इसके विपरीत यहाँ कुछ भी निहित होने के बावजूद निगम इस समझौते में किसी भी वाचा के विक्रेता द्वारा उल्लंघन पर विक्रेता द्वारा ऐसी अवधि या अवधि के लिए विक्रेता को सभी आपूर्ति और/या परिसर से बिक्री को तुरंत निलंबित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

जो निगम उचित समझे, और आपूर्ति को रोकने और/या निलंबित करने का ऐसा अधिकार और/या के अतिरिक्त होगा।

सी आईओसीएल टीएचआर। आईटीएस एसआर। एमएनजीआर। वी. मेसर्स श्री गणेश पेट्रोलियम

राजगुरुनगर टीएचआर। यह प्रोप है। एम. आर. लैक्समैन डागडू थाइट

[इंदिरा बनर्जी, जे।]

किसी अन्य अधिकार के प्रति पूर्वाग्रह के बिना या

इसके तहत निगम का उपाय

समझौता या कानून। इस उद्देश्य के लिए

खंड, के महाप्रबंधक

निगम उस समय मुंबई में है।

एकमात्र न्यायाधीश होगा कि क्या इस समझौते के किसी भी अनुबंध का उल्लंघन

विक्रेता द्वारा प्रतिबद्ध किया गया है। द. विक्रेता किसी भी प्रकार का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

क्षतिपूर्ति या क्षति

ऐसे किसी भी कारण से निगम

आपूर्ति का ठहराव और/या निलंबन।

.....

17. ..... निगम के पास होगा

उत्पाद

किसी भी समय अपने विवेक से प्रयोग करने का अधिकार

विनिर्देशन /

और समय-समय पर गुणवत्ता नियंत्रण

संयोजन /

द्वारा विपणन किए गए उत्पादों के लिए उपाय

मिलावट

निगम और विक्रेता के साथ झूठ बोलना। द.

महाप्रबंधक की राय

निगम उस समय मुंबई में है।

कि क्या कोई उत्पाद

निगम दूषित हो गया है और /

या मिलावट अंतिम और बाध्यकारी होगी।

विक्रेता पर।

उक्त जनरल की स्थिति में

की शर्तें

प्रबंधक ने पाया कि संदूषण

भुगतान

और/या उत्पाद में मिलावट की गई है

किसी भी कार्य या चूक या लापरवाही के कारण विक्रेता या उसके सेवकों या अभिकर्ताओं,

निगम के पास अधिकार होगा, बिना

ऐसा करने के लिए बाध्य होना, हटाने के लिए

उसी को नष्ट करें या अन्यथा उसी से निपटें इसके लिए कोई भुगतान किए बिना

विक्रेता और पूर्वाग्रह के बिना

निगम को इसे समाप्त करने का अधिकार है।

तुरंत समझौता।

.....

21. यह एक सर्वोपरि शर्त होगी यह समझौता कि विक्रेता स्वयं (यदि वह एक व्यक्ति है) या दोनों के भागीदार

वर्क डील

विक्रेता फर्म (यदि विक्रेता एक साझेदारी फर्म है जिसमें केवल दो भागीदार हैं) या विक्रेता फर्म के अधिकांश भागीदार (यदि विक्रेता एक ऐसी फर्म है जिसमें केवल दो भागीदार हैं)

दो से अधिक भागीदारों का) या डीलर-ऑपरेटिव सोसाइटी के अधिकांश पदाधिकारी/निर्वाचित सदस्य (यदि डीलर एक को-ऑपरेटिव सोसाइटी है) या प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक (यदि विक्रेता एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है), जैसा भी मामला हो, आम तौर पर निवासी होगी।

भारत में और डीलरशिप के प्रबंधन और संचालन में सक्रिय भाग लेगा।

और व्यक्तिगत रूप से इसका पर्यवेक्षण करेगा और किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति फर्म या निकाय के माध्यम से या तो 'बेनामी' के रूप में या किसी 'पावर ऑफ अटॉर्नी' के माध्यम से या अन्यथा ऐसा नहीं करेगा।

42. विक्रेता हर समय ईमानदारी से, तुरंत और लगन से पालन करेगा और

हर समय प्रदर्शन और प्रदर्शन करें

सौदा करें।

निगम या उसके द्वारा समय-समय पर दिए गए या दिए गए निर्देश, निर्देश, दिशानिर्देश और आदेश

कॉर्प ने

आईओसीएल टीएचआर को निर्देशित किया।

सुरक्षित प्रथाओं और विपणन अनुशासन और/या डीलरशिप के उचित संचालन के लिए प्रतिनिधि

निगम। विक्रेता केंद्र/राज्य सरकार और उनके द्वारा या विशेष रूप से प्रमुख सहित उनमें से किसी एक द्वारा नियुक्त सभी प्राधिकरणों के सभी कानूनों, नियमों, विनियमों और आवश्यकताओं का सावधानीपूर्वक पालन और पालन करेगा।

विस्फोटक नियंत्रक, सरकार

आईटीएस एसआर। एमएनजीआर। वी. मेसर्स श्री गणेश पेट्रोलियम

राजगुरुनगर टीएचआर। यह प्रोप है। एम. आर. लैक्समैन डागडू थाइट

[इंदिरा बनर्जी, जे।]

भारत और/या कोई अन्य स्थानीय प्राधिकरण

सुरक्षित प्रथाओं का ध्यान रखें।

43. निगम अपने अधिकारियों द्वारा, प्रतिनिधि या सेवक इसके हकदार होंगे।

निगम का

हर समय परिसर में प्रवेश करने के लिए और खुदरा दुकान के प्रबंधन का निरीक्षण करें

निरीक्षण का

अधिकार

का प्रबंधन

हर तरह से विक्रेता और विक्रेता द्वारा

डीलरशिप

सभी सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य होगा और निगम को सारी जानकारी दें और

इसमें इसके विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि निगम की ओर से और उसे प्रस्तुत करना और /

या उसमें इसके विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि

जब भी ऐसा करने की आवश्यकता हो चालान /

सभी खरीद और प्राप्तियों के लिए नकद ज्ञापन

उन सभी भुगतानों के लिए जो विक्रेता का विधिवत है।

यह बनाने के लिए कि क्या इस शर्तों के तहत

समझौता या अन्यथा।

तुरंत समाप्ति

45. कुछ भी होने के बावजूद

इसके विपरीत, निगम ने

शीघ्रता से

अपने पूरे विवेक से स्वतंत्र होगा

समाप्ति

इस समझौते को तुरंत समाप्त करें या

किसी भी घटना के बाद

निम्नलिखित घटनाएं अर्थात्:

क) यदि विक्रेता उल्लंघन करेगा या

किसी भी नियम, शर्तों का चूक, करारों और शर्तों में निहित

यह समझौता।

61. (क) कोई भी विवाद या किसी भी प्रकृति का अंतर, कोई भी दावा, प्रति-दावा,

मध्यस्थता

काउंटर-क्लेम या सेट-ऑफ या किसी के बारे में

यहाँ से उत्पन्न होने वाले किसी भी पक्ष का अधिकार, दायित्व, कार्य, चूक या खाता

इस समझौते के संबंध में [2022] 16 एस. सी. आर. होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एकमात्र मध्यस्थता के लिए संदर्भित

निगम के निदेशक (विपणन)

जो या तो स्वयं मध्यस्थ के रूप में कार्य कर सकता है

या किसी अन्य अधिकारी को नामित करें निगम मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा। द.

विक्रेता किसी भी राशि को जुटाने का हकदार नहीं होगा।

ऐसे किसी भी मध्यस्थ पर आपत्ति

इस आधार पर कि मध्यस्थ एक अधिकारी है

निगम "।

9. इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि पट्टा समझौता और विक्रेता समझौता एक-दूसरे से स्वतंत्र अलग समझौते हैं। यह संबंधित के नियमों और शर्तों से स्पष्ट है।

समझौते। जबकि पट्टा समझौता 29 की एक निश्चित अवधि के लिए था।

15 अप्रैल 2005 से, जिसके बाद पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों पर पारस्परिक समझौते द्वारा पट्टा बढ़ाया जा सकता था, डीलरशिप समझौता 15 नवंबर 2006 से 15 साल की अवधि के लिए था और उसके बाद एक-एक साल की क्रमिक अवधि के लिए जारी रहेगा, जब तक कि दूसरे पक्ष द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता।

10. इसके अलावा, पट्टा समझौते ने विशेष रूप से अपीलार्थी को उक्त के अधिकार को कम करने, कम करने, सौंपने या हस्तांतरित करने के लिए अधिकृत किया।

किसी भी व्यक्ति के लिए परिसर। पट्टा समझौता भी इस पर आरक्षित है

अपीलार्थी को पट्टेदार यानी प्रत्यर्थी की सहमति के बिना, उक्त परिसर में और उसके संबंध में अपीलार्थी के किसी भी डीलर, एजेंट, लाइसेंसधारी या अन्य अधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने, हटाने, पुनर्नियुक्ति करने, बदलने या प्रतिस्थापित करने का अधिकार है।

11. डीलरशिप समझौता स्वाभाविक रूप से समाप्त करने योग्य था जबकि जैसा कि ऊपर बताया गया है कि पट्टा समझौता उसके निष्पादन की तारीख से 29 साल की निश्चित अवधि के लिए था। पट्टा समझौते का खंड 3 (बी)

विशेष रूप से यह प्रावधान किया गया है कि पट्टा समझौते के अनुसार किराए का भुगतान करने और इसकी शर्तों का पालन करने पर, पट्टेदार या पट्टेदार के माध्यम से दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा बिना किसी रुकावट के उक्त परिसर को शांतिपूर्ण ढंग से रखने और आनंद लेने का हकदार होगा।

12. लीज समझौते से डीलरशिप समझौते की विशिष्टता भी प्रतिवादी पर डीलरशिप समझौते द्वारा उक्त के उपयोग के लिए लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने के लिए लगाए गए दायित्व से स्पष्ट है।

प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को दिए गए परिसर।

आईओसीएल टीएचआर। आईटीएस एसआर। एमएनजीआर। वी. मेसर्स श्री गणेश पेट्रोलियम राजगुरुनगर टीएचआर। यह प्रोप है। एम. आर. लैक्समैन डागडू थाइट

[इंदिरा बनर्जी, जे।]

13. जबकि पट्टा समझौते में मध्यस्थता के लिए अपीलार्थी के प्रबंध निदेशक को विवादों के संदर्भ के लिए प्रावधान किया गया था और यदि -

14. पट्टा समझौते में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया था कि उक्त समझौते के तहत विवादों को अपीलार्थी के प्रबंध निदेशक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को नहीं भेजा जाना था, और यदि किसी भी कारण से यह संभव नहीं था, तो मामले को मध्यस्थता के लिए नहीं भेजा जाना था। दूसरी ओर, जैसा कि ऊपर बताया गया है, डीलरशिप समझौते के तहत विवाद अपीलार्थी के निदेशक (विपणन) को संदर्भित किए गए थे जिन्हें पट्टे के तहत विवाद के किसी भी संदर्भ पर विचार करने से रोक दिया गया था।

समझौता। 15. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वत अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सुश्री माधवी दीवान ने इस न्यायालय के एक फैसले का उल्लेख किया

राहुल यादव और एक अन्य वी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य ', जहां इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया कि द्वारा एक डीलरशिप समझौता जिसे भूमि का पट्टेदार एक व्यापारी नियुक्त किया गया था, वह पट्टा समझौते से अलग और स्वतंत्र था, जिसके द्वारा जिस भूमि पर आउटलेट स्थापित किया गया था, उसे अपीलार्थी को सौंप दिया गया था।

16. राहुल यादव बनाम। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (ऊपर), यह न्यायालय

आयोजितः

" 18. हमने विस्तार में खंडों का उल्लेख इस बात को उजागर करने के लिए किया है कि पट्टेदार ने अपीलार्थी के साथ अत्यधिक स्वतंत्रता के साथ पट्टे का समझौता किया था और पट्टा विलेख में कहा गया है कि पट्टेदार को दूसरे विक्रेता को नियुक्त करने और नियुक्त करने की स्वतंत्रता है। पट्टा तब तक लागू रहेगा जब तक कि

प्रचलन में रहे। इस मोड़ पर, डीलरशिप समझौते के कुछ खंडों को पुनः प्रस्तुत करना उचित है जो उद्देश्य को स्पष्ट रूप से स्पष्ट करें। वे इस प्रकार पढ़ते हैंः

" 2. निगम एतद्वारा विक्रेता को छुट्टी और इस अवधि के लिए लाइसेंस और अनुमति प्रदान करता है।

उक्त परिसर में प्रवेश करने और निगम से विक्रेता द्वारा खरीदे गए उत्पादों को संग्रहीत करने, बेचने और संभालने के एकमात्र और विशिष्ट उद्देश्य के लिए परिसर और पोशाक का उपयोग करने के लिए समझौता, जैसा कि ऊपर कहा गया है,

विक्रेता को उक्त परिसर या संगठन में कोई अधिकार, स्वामित्व या हित नहीं होगा और वह पट्टेदार, उप-पट्टेदार, किरायेदार या परिसर या संगठन में किसी अन्य हित के अधिकार का दावा करने का हकदार नहीं होगा, विशेष रूप से सहमति व्यक्त की जा रही है और विशेष रूप से घोषित किया जा रहा है कि विक्रेता को परिसर के अनन्य कब्जे में नहीं माना जाएगा।

3. यह समझौता 14 मई, 2002 से पांच साल के लिए लागू रहेगा और उसके बाद भी जारी रहेगा।

प्रत्येक पक्ष द्वारा इस समझौते को समाप्त करने के अपने इरादे के बारे में दूसरे को लिखित रूप में तीन महीने की सूचना देकर निर्धारित किए जाने तक प्रत्येक वर्ष की क्रमिक अवधि, और इस तरह के किसी भी नोटिस की समाप्ति इस समझौते और उपरोक्त के रूप में दिया गया लाइसेंस रद्द और रद्द कर दिया जाएगा, लेकिन किसी भी पक्ष के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना।

किसी भी मामले या चीज़ के संबंध में दूसरे के खिलाफ

इस तरह की समाप्ति के लिए पूर्ववर्ती बशर्ते कि इस खंड में निहित कुछ भी इस समझौते के खंड 56 में उल्लिखित घटनाओं के होने पर इस समझौते को समाप्त करने के निगम के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

***

7. इस समझौते में निहित कुछ भी निगम को प्रत्यक्ष और/या करने से प्रतिबंधित करने के लिए नहीं माना जाएगा।

किसी भी व्यक्ति को अप्रत्यक्ष बिक्री जिसे भी या प्रत्यक्ष या अन्य विक्रेताओं को नियुक्त करने के उद्देश्य से ऐसे स्थानों पर अप्रत्यक्ष बिक्री जो निगम सोच सकता है

फिट। विक्रेता ऐसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बिक्री के लिए किसी भी दावे या भत्ते का हकदार नहीं होगा।

19. यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि अधिनियम का खंड 56

उक्त समझौते में कहा गया है कि उक्त खंड के समक्ष इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद,

निगम को कुछ घटनाओं के होने के बाद किसी भी समय समझौते को तुरंत समाप्त करने की स्वतंत्रता होगी।

एल टीएचआर। आईटीएस एसआर। एमएनजीआर। वी. मेसर्स श्री गणेश पेट्रोलियम गुरूनगर टीएचआर। यह प्रोप है। एम. आर. लैक्समैन डागडू थाइट

[इंदिरा बनर्जी, जे।]

परिस्थितियाँ कई प्रकार की हैं। हम कर सकते हैं, के लिए

पूर्णता, दो शर्तों को पुनः उत्पन्न करें:

" (ज) यदि विक्रेता निर्देशों का पालन नहीं करता है

निगम द्वारा समय-समय पर जारी किया गया

आपूर्ति में उसके द्वारा पालन की जाने वाली सुरक्षित प्रथाओं के साथ /

निगम के उत्पादों का भंडारण या अन्यथा।

(i) यदि विक्रेता जानबूझकर दूषित करेगा या

निगम की किसी भी गुणवत्ता के साथ तालमेल बनाए रखें।

उत्पाद।

20. उपरोक्त समझौते को सीधे पढ़ने पर, यह है -

दोपहर के दिन साफ करें कि इसका कोई संबंध नहीं है

पट्टा समझौते के साथ। दोनों समझौते हैं -

एक-दूसरे से स्वतंत्र। अपीलार्थी एक व्यापारी था पट्टेदार, अर्थात निगम के अधीन। डीलरशिप

कई आधारों पर रद्द किया जा सकता है। अगर ऐसा है तो

एक समाप्ति, डीलरशिप रद्द होने के लिए बाध्य है और

डीलरशिप के साथ समाप्त, यह एक की ओर ले जाएगा स्थिति जो व्याख्या से प्रवाहित नहीं होती है

उपकरण। मुकुंद में इस अदालत द्वारा दिए गए फैसले के कारण डीलरशिप समझौता समाप्त कर दिया गया है।

स्वरूप मिश्रा [(2007) 2 एससीसी 536]। इसका परिणाम यह हुआ कि

डीलरशिप को रद्द करना निर्णय का एक क्रम है।

इसका अपरिहार्य परिणाम यह है कि अपीलार्थी

स्वतंत्र रूप से या किसी अन्य के माध्यम से काम करने की स्वतंत्रता विक्रेता। अपीलार्थी को कारण बताने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

बाधा या बाधा उत्पन्न करना। निवेदन है कि

अपीलार्थी ने मासिक रूप से पट्टा समझौता किया

10, 000 रुपये का किराया क्योंकि इसे डीलरशिप दी गई थी

अपरिवर्तनीय याचिका, केवल अस्वीकार किए जाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। द.

अनुचित तरीके से। ऐसी स्थिति में, परिणाम अपीलार्थी द्वारा सामना किया जाना है।

. ऐसा प्रतीत होता है कि 17 अप्रैल 2008 को एक नियमित निरीक्षण के दौरान खुदरा के कामकाज के संबंध में नियमितता देखी गई थी।

जिसे प्रत्यर्थी को विक्रेता नियुक्त किया गया था।

18. 17 अप्रैल 2008 के एक पत्र द्वारा, अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी को उक्त आउटलेट से आगे बिक्री नहीं करने का निर्देश दिया। इसके बाद, प्रतिवादी को 18 अप्रैल 2008 को एक नोटिस जारी किया गया था।

प्रत्यर्थी को कारण दिखाने के लिए कि अनियमितताओं के लिए प्रत्यर्थी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए जो उल्लंघन के बराबर है

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी विपणन अनुशासन दिशानिर्देश (एम. डी. जी.) 2005। 19. अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी द्वारा संचालित खुदरा दुकान की बिक्री और आपूर्ति को भी निलंबित कर दिया। 21 अप्रैल 2008 के एक पत्र द्वारा, प्रतिवादी ने कथित अनियमितताओं को स्वीकार करते हुए कारण बताएँ नोटिस का जवाब दिया।

20. 20 अगस्त 2008 के एक पत्र द्वारा, अपीलकर्ता ने प्रत्यर्थी की डीलरशिप को समाप्त कर दिया, प्रत्यर्थी को खाली करने के लिए कहा खुदरा दुकान और उसका शांतिपूर्ण कब्जा अपीलार्थी को सौंपना और अपीलार्थी के साथ खातों का निपटान करना।

22. 24 अगस्त 2009 के एक पत्र द्वारा, प्रतिवादी ने डीलरशिप समझौते में मध्यस्थता खंड का आह्वान किया और अनुरोध किया मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अपीलार्थी का निदेशक (विपणन)।

दिनांक 9 नवंबर 2009। 24. प्रत्यर्थी ने डीलरशिप की समाप्ति के आदेश को चुनौती देते हुए विद्वान मध्यस्थ के समक्ष अपने दावों का विवरण दायर किया

समझौता। डीलरशिप समझौते की समाप्ति के आदेश को अलग करने की प्रार्थना और नुकसान के लिए प्रार्थना के अलावा,

प्रत्यर्थी ने प्रत्येक तीन वर्ष के बाद 20 प्रतिशत की वृद्धि के साथ उक्त परिसर के मासिक किराए को Rs.35,000/- तक बढ़ाने के लिए पट्टा समझौते में संशोधन के लिए एक वैकल्पिक अनुरोध किया।

25. अपीलार्थी ने दावे के बयान के लिए अपना लिखित बयान दाखिल किया। अपने लिखित वक्तव्य में, अपीलार्थी ने तर्क दिया:

- आईओसीएल टीएचआर। आईटीएस एसआर। एमएनजीआर। वी. मेसर्स श्री गणेश पेट्रोलियम

राजगुरुनगर टीएचआर। यह प्रोप है। एमआर। लैक्समैन डागडू थाइट

[इंदिरा बनर्जी, जे।]

" 2. दावेदार ने वैकल्पिक रूप से Rs.45,28,000/- की राशि का दावा किया।

- Rs.15% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ और आगे

पट्टा किराया प्रति माह Rs.35,000/- तक बढ़ाने का दावा किया गया

20 % हर तीन साल के बाद वृद्धि। उक्त विकल्प

दावेदार की प्रार्थनाएँ इस मध्यस्थता के दायरे से बाहर हैं।

कार्यवाही और इसलिए बनाए रखने योग्य नहीं हैं और उत्तरदायी हैं -

अस्वीकार किया जाता है।

XXX

XXX

XXX

9. ..... दावेदार द्वारा बातचीत करने के बाद किराया तय किया गया था।

प्रत्यर्थी के अधिकारियों की समिति के साथ और

किराए की राशि पर सहमति व्यक्त की। इस तरह किराया तय हो गया था। पक्षों के बीच पारस्परिक रूप से। उत्तरदाता आगे प्रस्तुत करता है

कि दावेदार नियमित रूप से मासिक स्वीकार कर रहा है

2005 से आज तक Rs.1750/- का किराया और कभी नहीं उठाया गया है

यह दाखिल करने तक उक्त किराए की राशि पर आपत्ति

दावे का विवरण। इस प्रकार दावेदार ने इस मुद्दे को उठाया है

के इस कथन में विशुद्ध रूप से एक विचार के रूप में मासिक किराए का

दावा करें "।

XXX

XXX

XXX

29. पैरा 34 (बी) (1) (II) में दावेदार की वैकल्पिक प्रार्थनाएँ

मध्यस्थता कार्यवाही के दायरे में नहीं हैं और

इसलिए उत्तरदाता द्वारा बनाए रखने योग्य और स्वीकार नहीं किया जाता है।

दावेदार के पास माँग करने के लिए कोई आधार नहीं है

मध्यस्थ प्रत्यर्थी को दावेदार को भुगतान करने का आदेश देगा

15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 28,000/- की राशि

दावा दायर करने की तारीख से लेकर भुगतान तक का वर्ष

दावेदार। पंजीकृत पट्टा विलेख को चुनौती दिए बिना

दावेदार द्वारा निष्पादित दावेदार आदेश की मांग नहीं कर सकता है

लीज डीड की शर्तों को संशोधित करने के लिए माननीय मध्यस्थ।

इसलिए दावेदार की वैकल्पिक प्रार्थनाएँ भी हैं

पूर्णतया अस्वीकृत किए जाने योग्य। 26. इससे पहले निर्धारण के लिए उत्पन्न होने वाले मुख्य मुद्दे

एड मध्यस्थ थेः

3. क्या दावेदार ने एम. डी. जी. दिशानिर्देश और डीलरशिप समझौते दिनांक 15.11.2006 का उल्लंघन किया है और क्या दावेदार बहाली का हकदार है?

4. क्या समाप्ति पत्र दिनांकित 20.08.2009 वैध है,

वैध और स्थायी?

5. क्या दावेदार यह साबित करता है कि दावेदार उत्तरदाता के खिलाफ आदेश/डिक्री का हकदार है

Rs.45,28,000/-?

6. क्या इस मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास बढ़ाने का अधिकार क्षेत्र है

मासिक पट्टा किराया Rs.1750/- प्रति माह से Rs.35,000/प्रति माह, हर तीन साल के बाद 20 प्रतिशत की वृद्धि के साथ?

7. क्या दावेदार यह साबित करता है कि दावेदार मासिक पट्टा किराया 1,750/- रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1,000/- रुपये प्रति माह करने का हकदार है, जिसमें हर तीन के बाद 20 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

बरसों से? "

27. विद्वान मध्यस्थ ने एक पुरस्कार दिनांकित किया और प्रकाशित किया। 2010 धारण करनाः

" मुद्दा संख्या 2,3 और 4 के रूप में निष्कर्ष

..... मेरा मानना है कि दावेदार ने दिनांक 15.11.2006 और एम. डी. जी. 2001 के डीलरशिप समझौते के नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया है और इसलिए दिनांकित समाप्ति पत्र

20.08.2008 प्रत्यर्थी द्वारा जारी किया गया कानूनी और वैध है। इसलिए मुझे लगता है कि इसलिए दावेदार किसी भी बहाली का हकदार नहीं है। मुद्दा संख्या 5 के रूप में निष्कर्ष

मैं पाता हूँ कि दावेदार ने Rs.45,28,000/का निवेश किया है जबकि प्रतिवादी ने भी

खुदरा आउटलेट और संबद्ध व्यय के निर्माण के लिए <आईडी1,00,000/-। दावेदार ने गंभीर अपराध किया है

जिन अनियमितताओं की उक्त डीलरशिप समझौते और एम. डी. जी. के अनुसार बिल्कुल भी अनुमति नहीं है और उन पर दंड का प्रावधान भी किया गया है, जिससे प्रतिवादी कंपनी को सद्भावना और प्रतिष्ठा का गंभीर नुकसान हुआ है। की वजह से

गंभीर अनियमितताएँ, दावेदार की डीलरशिप थी

समाप्त कर दिया। अतः दावेदार राशि का हकदार नहीं है -

मुद्दा संख्या 6 और 7 के रूप में निष्कर्ष दावेदार ने आईओसीएल टीएचआर की समाप्ति को रद्द करने के लिए प्रतिवादी के कार्यकारी निदेशक (खुदरा बिक्री) के समक्ष अपील की थी।

आईटीएस एसआर। एमएनजीआर। वी. मेसर्स श्री गणेश पेट्रोलियम राजगुरुनगर टीएचआर। यह प्रोप है। एम. आर. लक्ष्मण डगडू थाइट [इंदिरा बनर्जी, जे.]

मानवीय आधार पर डीलरशिप क्योंकि भूमि का पट्टा किराया जीवित रहने के लिए बहुत कम है। दावेदार ने प्रस्तुत किया कि दावेदार ने अपनी भूमि को 1,750/- रुपये के मासिक किराए पर लंबे पट्टे पर देने की पेशकश की और केवल इसलिए सहमत हुआ क्योंकि प्रतिवादी पेट्रोल पंप की डीलरशिप को अपने भूखंड के रूप में आवंटित करने के लिए सहमत हुआ और उक्त डीलरशिप से मासिक आय का आश्वासन दिया गया था। मैंने दावेदार की भूमि की सरकारी मूल्यांकन रिपोर्ट ("ओ" प्रदर्शित करें) और एक का उदाहरण देखा है।

श्री बाजीराव जाधव ने भूमि के आसपास के बाजार मूल्य को साबित करने के लिए दावेदार (प्रदर्शनी "पी") पर भरोसा किया। दावेदार। दोनों दस्तावेज पंजीकृत दस्तावेज हैं। श्री बाजीराव जाधव और दावेदार द्वारा निष्पादित पट्टा समझौते अलग-अलग शर्तों और शर्तों के साथ पूरी तरह से अलग हैं।

पक्षों के बीच शर्तें और बातचीत। दावेदार और प्रत्यर्थी दिनांकित पट्टा समझौते के नियमों और शर्तों से बाध्य हैं और यह मध्यस्थ न्यायाधिकरण ऐसा नहीं कर सकता है

लीज एग्रीमेंट दिनांक 20.09.2005 से आगे जाएं

किराया और किराए में वृद्धि की दरों को प्रदान और निर्धारित करना दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी है। मुझे पता चला है कि चूंकि पेट्रोल पंप की डीलरशिप पहले ही समाप्त हो चुकी है, इसलिए दावेदार को पट्टे के किराए के अलावा डीलरशिप की कोई आय नहीं होगी, जो जीवित रहने के लिए बहुत कम है और दावेदार अपनी भूमि को 1,750/- रुपये के मासिक किराए पर लंबे पट्टे पर देने के लिए सहमत हुआ था, क्योंकि प्रतिवादी पेट्रोल पंप की डीलरशिप को अपने भूखंड के रूप में आवंटित करने के लिए सहमत हुआ था, इसलिए

दावेदार जीवित रहने के लिए उक्त भूमि के मासिक पट्टे के किराए में कुछ उचित वृद्धि प्राप्त करने का हकदार है, लेकिन Rs.35000/- से Rs.1750/- तक नहीं, जैसा कि प्रस्तुत किया गया है।

दावेदार।

पुरस्कार

1. 20.08.2008 दिनांकित विक्रेता आदेश की समाप्ति है

उत्तरदाता। दावेदार डीलरशिप की बहाली का हकदार नहीं है। 2. दावेदार 28,000/- के दावे और उस पर ब्याज का हकदार नहीं है।

2] 16 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3. उक्त भूमि का मासिक पट्टा किराया प्रत्येक तीन वर्ष के बाद 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ Rs.1750 से Rs.10000/- तक बढ़ाया जाएगा। विक्रेता की समाप्ति की तारीख और पट्टा विलेख की अवधि 6.7.2005 पर समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन में उल्लिखित अवधि के अनुसार रखी जाएगी।

उपरोक्त निर्णय के साथ, मैंने मध्यस्थता को समाप्त कर दिया है

कार्यवाही की और इस पुरस्कार को 4.11.2010 पर प्रकाशित किया।

28. अपीलार्थी ने सिविल विविध होने के कारण एक आवेदन दायर किया। जिला न्यायाधीश, पुणे के न्यायालय में उक्त निर्णय को निरस्त करने के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत 2011 का आवेदन संख्या 115, जिसे इसके बाद "1996 अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है। प्रत्यर्थी ने विवादित पुरस्कार पर अपनी प्रति-आपत्ति दायर की और जिला न्यायाधीश, पुणे के न्यायालय में एक प्रति-दावा भी दायर किया।

29. प्रत्यर्थी द्वारा दायर जवाबी दावा स्पष्ट रूप से था

गलत धारणा है। पुरस्कार को अलग रखने के लिए आवेदन पर किसी भी जवाबी दावे का कोई सवाल नहीं हो सकता है।

30. 1996 के अधिनियम की धारा 5 में प्रावधान है कि उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, 1996 के अधिनियम के भाग I द्वारा शासित मामलों में, कोई भी न्यायिक प्राधिकरण इसके अलावा हस्तक्षेप नहीं करेगा जहाँ इस प्रकार भाग I में उपबंध किया गया है।

31. 1996 के अधिनियम के भाग I में धारा 34 जैसा कि यह भौतिक समय पर है, निम्नानुसार प्रदान की गई है:

" 34. मध्यस्थता पुरस्कार को अलग रखने के लिए आवेदन। (1) एक मध्यस्थता पुरस्कार के खिलाफ एक अदालत का सहारा केवल इस तरह के पुरस्कार को अलग करने के लिए एक आवेदन द्वारा किया जा सकता है

उप धारा (2) और उप धारा (3)।

(2) एक मध्यस्थता पुरस्कार को न्यायालय द्वारा केवल तभी रद्द किया जा सकता है जब (क) आवेदन करने वाला पक्ष इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करता है कि

((i) कोई पक्ष किसी असमर्थता में था; या

((ii) मध्यस्थता समझौता उस कानून के तहत मान्य नहीं है जिसके अधीन पक्षों ने इसे किया है या किसी भी मामले में विफल रहा है।

उस पर संकेत, कुछ समय के लिए कानून के तहत

बल; या

(iii) आवेदन करने वाले पक्ष को मध्यस्थ या आई. आर. की नियुक्ति की उचित सूचना नहीं दी गई थी।

आईटीएस एसआर। एमएनजीआर। वी. मेसर्स श्री गणेश पेट्रोलियम जनगर टीएचआर। यह प्रोप है। एम. आर. लैक्समैन डागडू थाइट

[इंदिरा बनर्जी, जे।]

मध्यस्थता कार्यवाही या अन्यथा करने में असमर्थ था

अपना मामला प्रस्तुत करें; या

प्रस्तुत करने के दायरे से परे मामले मध्यस्थताः

बशर्ते कि, यदि मामलों पर निर्णय प्रस्तुत किए गए हैं

प्रस्तुत किया गया, केवल मध्यस्थता पुरस्कार का वह भाग जो प्रस्तुत नहीं किए गए मामलों पर निर्णय शामिल हैं

मध्यस्थता को अलग रखा जा सकता है; या

मध्यस्थ न्यायाधिकरण या मध्यस्थ की संरचना

प्रक्रिया समझौते के अनुसार नहीं थी

पक्षकारों का, जब तक कि ऐसा समझौता टकराव में न हो इस भाग के एक प्रावधान के साथ जिसमें से पक्षकार

अपमान नहीं कर सकता, या, इस तरह के समझौते में विफल होने पर, नहीं था

इस भाग के अनुसार; या

न्यायालय ने पाया कि

विवाद का विषय सक्षम नहीं है

((i)

उस समय लागू कानून के तहत मध्यस्थता द्वारा निपटान का, या

((ii) मध्यस्थता पुरस्कार जनता के साथ टकराव में है।

भारत की नीति।

योजना 1. किसी भी संदेह से बचने के लिए, यह है

मान लिया कि एक पुरस्कार सार्वजनिक नीति के साथ टकराव में है

भारत, केवल अगर

(i) पुरस्कार का निर्माण धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रेरित या प्रभावित था या इसका उल्लंघन था -

धारा 75 या धारा 81; या

((ii) यह मूल सिद्धांत का उल्लंघन है।

भारतीय कानून की नीति; या

(iii) यह सबसे बुनियादी धारणाओं के साथ संघर्ष में है

नैतिकता या न्याय।

2] 16 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

स्पष्टीकरण 2. - संदेह से बचने के लिए, परीक्षण के रूप में

क्या मौलिक के साथ कोई उल्लंघन है

भारतीय कानून की नीति में गुण-दोष पर समीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी।

विवाद का।]

[(2 - ए) अन्य मध्यस्थताओं से उत्पन्न होने वाला एक मध्यस्थता पुरस्कार

अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता की तुलना में, भी निर्धारित किया जा सकता है न्यायालय द्वारा एक तरफ, यदि न्यायालय को पता चलता है कि पुरस्कार दूषित है

पुरस्कार के चेहरे पर दिखाई देने वाली पेटेंट अवैधता द्वाराः

बशर्ते कि कोई पुरस्कार केवल इस पर अलग नहीं रखा जाएगा

कानून के गलत अनुप्रयोग का आधार या साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन।] "

32. जैसा कि ऊपर देखा गया है, पट्टा समझौता और डीलरशिप समझौता अलग-अलग समझौते हैं, जो एक-दूसरे से स्वतंत्र हैं। पट्टा समझौते के तहत विवाद मध्यस्थता के लिए संदर्भित थे अपीलार्थी का प्रबंध निदेशक जो एकमात्र मध्यस्थ होना था, और केवल तभी जब प्रबंध निदेशक एकमात्र मध्यस्थ के रूप में कार्य करने में असमर्थ या अनिच्छुक था, विवादों को उसके स्थान पर प्रबंध निदेशक द्वारा नामित या नामित एकमात्र मध्यस्थ को भेजा जाना था। यदि विवादों को किसी भी कारण से प्रबंध निदेशक के पास नहीं भेजा जा सकता था, तो मामले को मध्यस्थता के लिए बिल्कुल भी नहीं भेजा जाना था।

33. तत्काल मामले में, प्रतिवादी ने डीलरशिप समझौते के तहत मध्यस्थता खंड का आह्वान किया और निदेशक से संपर्क किया

(विपणन) उस अपीलार्थी का जिसने श्री बी. एल. परिहार को एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया। अपीलार्थी के निदेशक (विपणन) द्वारा नामित मध्यस्थ श्री बी. एल. परिहार के पास पट्टा समझौते से संबंधित किसी भी विवाद पर निर्णय लेने का कोई अधिकार और/या अधिकार क्षेत्र नहीं था।

34. जहां तक पट्टे के समझौते के संबंध में विवादों से संबंधित है, मध्यस्थ पुरस्कार को अलग रखा जा सकता है। डीलरशिप समझौते में मध्यस्थता खंड द्वारा विचार नहीं किया जाता है और/या दूसरे शब्दों में, मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने की शर्तों के भीतर नहीं आते हैं। इस प्रकार मध्यस्थ पुरस्कार निर्धारित किए जाने के लिए उत्तरदायी है।

1996 के अधिनियम की धारा 34 (2) (ए) (iv) के तहत अलग से। पट्टा किराया बढ़ाने का निर्णय स्पष्ट रूप से मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने के दायरे से बाहर है। इसके अलावा, मध्यस्थ न्यायाधिकरण या मध्यस्थ प्रक्रिया की संरचना 20 सितंबर को पट्टे के समझौते के अनुसार नहीं थी।

2005 .

आईओसीएल टीएचआर। आईटीएस एसआर। एमएनजीआर। वी. मेसर्स श्री गणेश पेट्रोलियम राजगुरुनगर टीएचआर। यह प्रोप है। एम. आर. लैक्समैन डागडू थाइट

[इंदिरा बनर्जी, जे।]

35. 29 जनवरी 2013 के एक निर्णय और आदेश द्वारा, जिला न्यायाधीश-3, पुणे ने प्रतिवादी की जवाबी आपत्ति को अनुमति दी

आंशिक रूप से पुरस्कार दिया गया और अंतिम खंड को हटाकर पुरस्कार में संशोधन किया गया, "और 6.7.2005 पर समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन में उल्लिखित अवधि के अनुसार रखे जाने वाले पट्टा विलेख की अवधि को इस अवलोकन के साथ कि समझौते की अवधि यदि पूरी तरह से प्रतिकूल या सक्षम है।

पक्षकारों में से किसी एक के साथ गंभीर अन्याय करने की निश्चित रूप से न केवल न्यायालय द्वारा, बल्कि मध्यस्थ द्वारा भी अनदेखी की जा सकती है। जिला न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि विद्वान मध्यस्थ ने उचित रूप से वृद्धि की थी रुपये तक का किराया। 10,000 / - हर तीन साल में 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ। हालांकि,

विद्वत न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि समाचार पत्रों में दिए गए विज्ञापन के अनुसार पट्टा अवधि को घटाकर 19 वर्ष और 11 महीने करना मध्यस्थ के प्रांत के भीतर नहीं था।

और जिला न्यायाधीश का आदेश-3, पुणे। 37. 11 सितंबर 2015 के एक फैसले और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने 2013 की मध्यस्थता अपील No.19 को आंशिक रूप से अनुमति दी।

प्रत्यर्थी और अपीलार्थी द्वारा दायर 2013 की मध्यस्थता अपील No.39 को यह देखते हुए खारिज कर दिया गया कि जिला न्यायालय के लिए विवादित निर्णय में हस्तक्षेप करने की कोई गुंजाइश नहीं है। उच्च न्यायालय ने कहाः

" 10. पट्टा समझौते के तहत विवाद पर निर्णय के साथ अपीलीय अदालत के हस्तक्षेप पर आते हुए, यह पेटेंट है

विवादित आदेश से कि उसी के साथ हस्तक्षेप मध्यस्थता की धारा 34 के प्रावधान से परे था

एक्ट करें। एक ओर विद्वान न्यायाधीश ने अनुमति दी पट्टे के किराए में वृद्धि लेकिन पट्टे की अवधि में कमी से इनकार कर दिया। विद्वान न्यायाधीश ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि दावेदार ने विद्वान मध्यस्थ के समक्ष तर्क दिया था कि उसे प्रतिवादी द्वारा 29 साल और 11 महीने के पट्टे के लिए सहमत होने के लिए मजबूर किया गया था, हालांकि विज्ञापन ने उसे केवल 19 साल और 11 महीने के लिए डीलरशिप की अनुमति दी थी। यह किसी का मामला नहीं है कि 1,750/- रुपये प्रति माह का पट्टा किराया संबंधित समय पर बाजार दर पर था। यह स्पष्ट है कि दावेदार पट्टे की विस्तारित अवधि के लिए केवल इसलिए सहमत हुआ था क्योंकि इसे डीलरशिप समझौते के साथ जोड़ा गया था। इन परिस्थितियों में, जिला न्यायालय के लिए विवादित फैसले में हस्तक्षेप करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। उस हद तक, अपील [2022] 16 एस. सी. आर.

दावेदार की अनुमति दी जानी चाहिए और पैराग्राफ "2" पर विवादित आदेश में निहित निर्देशों को अलग रखा जाना चाहिए। इसलिए,

2013 की मध्यस्थता अपील No.39 खारिज कर दी गई है। मध्यस्थता 2013 की अपील No.19 की आंशिक रूप से अनुमति है। पैरा पर दिशा

2 विवादित आदेश को अलग कर दिया जाता है "।

38. उच्च न्यायालय में, अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया था कि पट्टा समझौते के तहत विवाद का निर्णय विद्वान मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र से बाहर था। यह इंगित किया गया था कि पट्टा समझौता एक निर्दिष्ट मध्यस्थ के लिए प्रदान किया गया है जो अपीलार्थी का प्रबंध निदेशक है या प्रबंध निदेशक द्वारा नामित या नामित किसी अन्य व्यक्ति के लिए है। तत्काल मामले में मध्यस्थ श्री बी. एल. परिहार को अपीलार्थी के निदेशक (विपणन) द्वारा डीलरशिप समझौते के अनुसार नियुक्त किया गया था। उच्च न्यायालय ने उपरोक्त तर्क को इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया:

" 9. हालांकि अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है कि ऐसा कोई नहीं है

विवाद मध्यस्थ के समक्ष लिया गया था और इसमें भी

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत दायर आवेदन।

इसलिए, अपीलार्थी को इस न्यायालय के समक्ष पहली बार इसे उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। क्योंकि इसका मतलब यह होगा कि दावेदार ने श्री बी. एल. परिहार को मध्यस्थ के रूप में स्वीकार कर लिया है।

पट्टा समझौते के तहत विवाद।

39. जहाँ तक पट्टे के किराए और/या पट्टे के विलेख की किसी अन्य शर्तों के संबंध में विवादों का संबंध था, उच्च न्यायालय आगे बढ़ा।

स्पष्ट रूप से गलत आधार पर कि अपीलार्थी ने पट्टा समझौते के संबंध में विवादों पर विचार करने और निर्णय लेने के लिए विद्वान मध्यस्थ की क्षमता या अधिकार या अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति नहीं जताई थी, इसकी अनदेखी करते हुए

40. अपने जवाबी बयान में, अपीलार्थी ने विशेष रूप से कहा था कि प्रत्यर्थी की पट्टे में वृद्धि का दावा करने वाली वैकल्पिक प्रार्थना प्रत्येक तीन वर्ष में 20 प्रतिशत की वृद्धि के साथ प्रति माह 1,000/- तक का किराया मध्यस्थता कार्यवाही के दायरे से बाहर था। अपीलार्थी ने यह भी स्पष्ट रूप से कहा कि उसके द्वारा निष्पादित पंजीकृत पट्टा विलेख को चुनौती दिए बिना, प्रत्यर्थी पट्टा विलेख की शर्तों को संशोधित करते हुए मध्यस्थ का आदेश नहीं ले सकता है।

41. उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से इस तथ्य की भी अनदेखी की कि आई. ओ. सी. एल. टी. एच. आर. का मासिक पट्टा किराया बढ़ाने के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण का अधिकार क्षेत्र।

आईटीएस एसआर। एमएनजीआर। वी. मेसर्स श्री गणेश पेट्रोलियम

राजगुरुनगर टीएचआर। यह प्रोप है। एम. आर. लैक्समैन डागडू थाइट

[इंदिरा बनर्जी, जे।]

Rs.1750/- प्रति माह से Rs.35,000/- प्रति माह विशेष रूप से था विद्वत मध्यस्थ (अंक संख्या 6) के समक्ष मुद्दा, जैसा कि विवादित पुरस्कार से स्पष्ट है।

42. जैसा कि इस न्यायालय द्वारा एसोसिएट बिल्डर्स बनाम में अभिनिर्धारित किया गया है। दिल्ली

विकास प्राधिकरण ', प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री प्रसेनजीत केसवानी द्वारा उद्धृत, 1996 के अधिनियम की धारा 5 के संयोजन में धारा 34 यह स्पष्ट करती है कि एक मध्यस्थता पुरस्कार जो 1996 के अधिनियम के भाग I द्वारा शासित है, को केवल उक्त अधिनियम की धारा 34 (2) और (3) के तहत उल्लिखित आधारों पर अलग किया जा सकता है और अन्यथा नहीं। न्यायालय एक पुरस्कार को अलग करने के लिए एक आवेदन पर विचार कर रहा है, जिसके तहत

1996 के अधिनियम की धारा 34 पुरस्कार के गुण-दोष पर गौर नहीं कर सकती है, सिवाय इसके कि जब पुरस्कार 1996 के अधिनियम की धारा 34 (2) (बी) (ii) में प्रदान की गई भारत की सार्वजनिक नीति के साथ टकराव में हो।

43. एसोसिएट बिल्डर्स (ऊपर) में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक पुरस्कार को अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित परिस्थितियों में भारत की सार्वजनिक नीति के खिलाफ कहा जा सकता हैः -

(i) जब कोई पुरस्कार, अपने चेहरे पर, किसी वैधानिक अधिकार का उल्लंघन करता है।

प्रावधान।

(ii) जब मध्यस्थ/मध्यस्थ न्यायाधिकरण एक को अपनाने में विफल रहा है

विवाद को तय करने में न्यायिक दृष्टिकोण।

((iii) जब कोई पुरस्कार प्राकृतिक के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।

न्याय।

((iv) जब कोई पुरस्कार अनुचित या विकृत हो। (v) जब कोई पुरस्कार स्पष्ट रूप से अवैध है, जिसमें भारत के किसी भी मूल कानून के पेटेंट उल्लंघन में एक पुरस्कार शामिल होगा।

या 1996 के अधिनियम के पेटेंट उल्लंघन में।

(vi) जब कोई पुरस्कार भारत के हित के विपरीत हो, या न्याय या नैतिकता के खिलाफ हो, तो इस अर्थ में कि यह विवेक को झकझोर देता है।

अदालत से।

44. एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण अनुबंध का एक प्राणी होने के नाते, उस अनुबंध के संदर्भ में कार्य करने के लिए बाध्य है जिसके तहत इसका गठन किया गया है। एक पुरस्कार को स्पष्ट रूप से अवैध कहा जा सकता है जहां मध्यस्थ न्यायाधिकरण अनुबंध के संदर्भ में कार्य करने में विफल रहा है या अनुबंध की विशिष्ट शर्तों की अनदेखी की है। 2 (2015) 3 एससीसी 49 [2022] 16 एस. सी. आर.

45. हालांकि, एक अनुबंध के संदर्भ में कार्य करने में विफलता और एक अनुबंध की शर्तों की गलत व्याख्या के बीच एक अंतर निकाला जाना चाहिए। अनुबंध। एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण को किसी विवाद का निर्णय लेते समय अनुबंध के नियमों और शर्तों की व्याख्या करने का अधिकार है। एक ऐसे मामले में अनुबंध की व्याख्या में त्रुटि जहां वैध और वैध है

मध्यस्थता न्यायाधिकरण को मध्यस्थता विवादों को प्रस्तुत करना अधिकार क्षेत्र के भीतर एक त्रुटि है। 46. न्यायालय मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय पर अपील में नहीं बैठता है। न्यायालय आम तौर पर मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा संविदात्मक प्रावधान की की गई व्याख्या में हस्तक्षेप नहीं करता है, जब तक कि ऐसी व्याख्या स्पष्ट रूप से अनुचित या विकृत न हो। जहां एक संविदात्मक प्रावधान अस्पष्ट है या एक से अधिक तरीकों से व्याख्या करने में सक्षम है, न्यायालय मध्यस्थता पुरस्कार में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, केवल इसलिए कि न्यायालय की राय है कि एक अन्य संभावित व्याख्या की आवश्यकता होगी।

बेहतर हुआ है।

47. एसोसिएट बिल्डर्स (ऊपर) में, इस न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुबंध की शर्तों की अनदेखी करने वाला पुरस्कार सार्वजनिक हित में नहीं होगा। में तत्काल मामले में, पट्टा किराया और पट्टा अवधि के संबंध में पुरस्कार पट्टा समझौते के नियमों और शर्तों की अवहेलना में है

और इस प्रकार सार्वजनिक नीति के खिलाफ। इसके अलावा, एसोसिएट बिल्डर्स (उपरोक्त) में किसी विवाद पर निर्णय लेने के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण की अधिकारिता मुद्दे में नहीं थी। न्यायालय उन परिस्थितियों पर विचार कर रहा था जिनमें न्यायालय किसी पुरस्कार के गुण-दोष पर विचार कर सकता था।

48. इस मामले में, जैसा कि ऊपर देखा गया है, जहां तक पट्टा किराया और पट्टा अवधि से संबंधित है, विवादित पुरस्कार स्पष्ट रूप से दायरे से बाहर है। अपीलार्थी के निदेशक (विपणन) द्वारा डीलरशिप समझौते के संदर्भ में नियुक्त मध्यस्थ की क्षमता।

खुदरा दुकान स्थापित की गई थी। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण, या उस मामले के लिए, न्यायालय पार्टियों के बीच निष्पादित वैध अनुबंध के नियमों और शर्तों को अपनी आँखें खुली रखते हुए नहीं बदल सकता है। 50. सांगयोंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) 3, यह न्यायालय

3 (2019) 15 एससीसी 131 आईओसीएल टीएचआर।

आईटीएस एसआर। एमएनजीआर। वी. मेसर्स श्री गणेश पेट्रोलियम राजगुरुनगर टीएचआर। यह प्रोप है। एमआर। लक्ष्मण डगडू थाइट [इंदिरा बनर्जी, जे.]

" 76. हालाँकि, जब भारत की सार्वजनिक नीति की बात आती है, तो "न्याय की सबसे बुनियादी धारणाओं" पर आधारित तर्क यह है -

स्पष्ट करें कि इस मैदान को केवल बहुत ही आकर्षित किया जा सकता है असाधारण परिस्थितियां जब न्यायालय की अंतरात्मा मौलिक धारणाओं या सिद्धांतों के उल्लंघन से स्तब्ध हो जाती है।

न्याय की। यह देखा जा सकता है कि समझौते द्वारा लागू किया गया सूत्र फरवरी 2013 तक लागू रहा- संक्षेप में, यह कहना सही नहीं है कि समझौते के तहत सूत्र को मंत्रालय द्वारा आधार सूचकांकों में 1993-1994 से 2004-2005 में परिवर्तन के कारण लागू नहीं किया जा सका। इसके अलावा, एक जोड़ने वाले कारक को लागू करने के लिए, एक परिपत्र, एक पक्ष द्वारा एकतरफा रूप से जारी किया जाता है, संभवतः बाध्य नहीं कर सकता है

उस दूसरे पक्ष की सहमति के बिना समझौते के लिए अन्य पक्ष। वास्तव में, परिपत्र स्वयं स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि यह तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक कि ठेकेदार एक वचन/शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं कि परिपत्र के तहत मूल्य समायोजन उन्हें स्वीकार्य है। हमने देखा है कि कैसे अपीलार्थी ने इस तरह का वचन केवल सशर्त और अपने इस तर्क पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना दिया कि परिपत्र लागू नहीं होता है और लागू नहीं हो सकता है। इस मामले में,

यह स्पष्ट है कि बहुमत पुरस्कार ने उक्त एकतरफा परिपत्र को लागू करके और समझौते के तहत एक व्यवहार्य सूत्र को दूसरे सूत्र द्वारा प्रतिस्थापित करके पक्षों के लिए एक नया अनुबंध बनाया है। इस मामले में, न्याय के एक मौलिक सिद्धांत का उल्लंघन किया गया है, अर्थात्, किसी अनुबंध का एकतरफा जोड़ या परिवर्तन कभी भी किसी अनिच्छुक पक्ष पर थोपा नहीं जा सकता है, और न ही समझौते का कोई पक्ष ऐसा सौदा करने के लिए उत्तरदायी हो सकता है जो नहीं किया गया है।

दूसरे पक्ष के साथ। स्पष्ट रूप से, इस तरह का आचरण इस देश में पालन किए जाने वाले न्याय के मौलिक सिद्धांतों के विपरीत होगा, और इस न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोर देगा।

हालाँकि, हम दोहराते हैं कि यह आधार केवल बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में उपलब्ध है, जैसे कि वर्तमान मामले में तथ्य की स्थिति। किसी भी परिस्थिति में कोई भी अदालत इस आधार पर मध्यस्थता पुरस्कार में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है कि अदालत की राय में न्याय नहीं किया गया है। यह विवाद के गुण-दोष में प्रवेश होगा जो, जैसा कि हमने देखा है, 1996 के अधिनियम की धारा 34 के लोकाचार के विपरीत है, जैसा कि इस निर्णय में पहले उल्लेख किया गया है।

2] 16 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

51. पीएसए एस. आई. सी. ए. एल. टर्मिनल्स प्रा. लि. में। लिमिटेड वी. वी. ओ. चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट तूतीकोरिन और अन्य इस न्यायालय के न्यासी मंडल

एसएसंग्योंग इंजीनियरिंग को संदर्भित और उस पर निर्भर किया गया और

कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (ऊपर) और आयोजितः

" 87. इस प्रकार, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा सांगयोंग में अभिनिर्धारित किया गया है

इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (उपरोक्त), न्याय के मौलिक सिद्धांत का उल्लंघन किया गया है, अर्थात्, एक एकतरफा जोड़ या अनुबंध में परिवर्तन एक अनिच्छुक पक्ष पर थोपा गया है। इस न्यायालय ने आगे कहा है कि

कि समझौते के किसी पक्ष को कुछ ऐसा करने के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है जिसके लिए उसने अनुबंध नहीं किया है। हमारे विचार में, पक्षकारों के लिए एक अनुबंध फिर से लिखना न्याय के मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन होगा जो एक न्यायालय को हस्तक्षेप करने का अधिकार देता है क्योंकि ऐसा मामला ऐसा होगा जो न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोर देगा और इस तरह, अपवादात्मक प्रावधानों में आएगा।

श्रेणी।

52. पीएसए एस. आई. सी. ए. एल. टर्मिनल्स प्रा. लि. में। लिमिटेड (ऊपर) इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया कि मध्यस्थ की भूमिका निम्नलिखित शर्तों के भीतर मध्यस्थता करना थाः

अनुबंध। अनुबंध के तहत पार्टियों ने उन्हें जो कुछ दिया था, उसके अलावा उनके पास कोई शक्ति नहीं थी। यदि उसने अनुबंध से परे यात्रा की है, तो वह बिना अधिकार क्षेत्र के कार्य करेगा।

53. पीएसए एस. आई. सी. ए. एल. टर्मिनल्स प्रा. लि. में। लिमिटेड (ऊपर) इस न्यायालय ने एम. डी. में इस न्यायालय के पहले के फैसले का उल्लेख किया और उस पर भरोसा किया। सेना

कल्याण आवास संगठन v. सुमंगल सर्विस (पी) लिमिटेड और

अभिनिर्धारित किया कि एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण कानून की अदालत नहीं है। यह अपनी शक्तियों का न्याय के अधिकार के बिना प्रयोग नहीं कर सकता है। 54. सत्यनारायण कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाम। भारत संघ और अन्य, समन्वय शक्ति के इस न्यायालय की एक पीठ ने कहा कि एक बार अनुबंध में दर तय हो जाने के बाद, मध्यस्थ के लिए अनुबंध की शर्तों को फिर से लिखने और उच्च दर देने का अधिकार नहीं है। जहां एक मध्यस्थ ने प्रभावी रूप से अनुबंध को फिर से लिखा था और अनुबंध में सहमत दर से अधिक दर प्रदान की थी, उच्च न्यायालय को पुरस्कार को रद्द करने में कोई त्रुटि नहीं करने के लिए अभिनिर्धारित किया गया था।

4 (2021) एससीसी ऑनलाइन एससी 508 5 (2004) 9 एससीसी 619 6 (2011) 15 एस. सी. सी. 101 आई. ओ. सी. एल. टी. एच. आर.

आईटीएस एसआर। एमएनजीआर। वी. मेसर्स श्री गणेश पेट्रोलियम राजगुरुनगर टीएचआर। यह प्रोप है। एम. आर. लैक्समैन डागडू थाइट

[इंदिरा बनर्जी, जे।]

55. केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून के प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं हो सकता है।

और एक अन्य वी। ब्रोजो नाथ गांगुली और एक अन्य ', श्री द्वारा उद्धृत।

केसवानी। हालाँकि, इस फैसले का इस मामले में कोई उपयोग नहीं है। 56. ब्रोजो नाथ गांगुली (ऊपर) में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि रोजगार के अनुबंध में एक शब्द के साथ-साथ एक सरकारी कंपनी के सेवा नियम भी।

बिना स्थायी कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त करने का प्रावधान

तीन महीने के नोटिस पर कारण बताना या उसके बदले में भुगतान करना अनुचित, मनमाना और सार्वजनिक नीति के खिलाफ था। यह न्यायालय उपरोक्त मामले में किसी भी पट्टा समझौते या किसी भी डीलरशिप समझौते से संबंधित नहीं था।

57. इस मामले में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है कि डीलरशिप समझौते की कोई भी शर्त अनुचित थी और

मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने डीलरशिप को समाप्त करने में हस्तक्षेप नहीं किया है।

समझौता। 58. अपीलार्थी और प्रत्यर्थी ने इस मामले में अपनी आँखें खुली रखते हुए पट्टा समझौता किया। प्रत्यर्थी के पास यह विकल्प था कि वह अपनी संपत्ति अपीलार्थी को पट्टे पर न दे। संपत्ति के मालिक की स्थिति, अपनी संपत्ति के संबंध में पट्टा समझौते को निष्पादित करने की स्थिति को उनके द्वारा निष्पादित रोजगार अनुबंध के बराबर नहीं माना जा सकता है और

नियोक्ता द्वारा दिए गए नियमों और शर्तों को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। 59. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि अदालत का निर्णय कानून के मुद्दे के लिए पूर्ववर्ती है जिसे उठाया और तय किया जाता है। निर्णय में उपयोग किए गए शब्दों और वाक्यांशों को अलग-अलग, संदर्भ से बाहर नहीं पढ़ा जा सकता है। प्रतिष्ठित लेखक वी. सुधीश पाई को उद्धृत करने के लिए "निर्णय और टिप्पणियाँ

निर्णयों को यूक्लिड के सिद्धांतों या क़ानून के प्रावधानों के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए। न्यायिक कथन/घोषणाएं किसी विशेष मामले के तथ्यों की स्थापना में होती हैं। शब्दों और प्रावधानों की व्याख्या करना

एक कानून न्यायाधीशों के लिए लंबी चर्चा शुरू करना आवश्यक हो सकता है, लेकिन ऐसी चर्चा का उद्देश्य यह समझाना नहीं है कि परिभाषित करें। न्यायाधीश विधियों की व्याख्या करते हैं, उनके शब्दों की व्याख्या विधियों के रूप में नहीं की जाती है। इस प्रकार, पूर्ववर्ती को क़ानून के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए।
998

8 श्री वी. सुधीश पाई [2022] 16 एस. सी. आर. द्वारा संवैधानिक सर्वोच्चता-एक पुनरीक्षण, संविधानवाद, कानून के शासन और संवैधानिक निर्णय पर निबंध।

60. ऊपर चर्चा किए गए कारणों के लिए, अपील की अनुमति है। उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है। विवादित फैसला जिला न्यायालय की ओर से जहां तक पट्टा किराया और पट्टा अवधि से संबंधित है, उसे भी अलग रखा गया है।

61. विवादित अधिनिर्णय दिनांक 04.11.2010 को इस हद तक अलग रखा गया है कि मध्यस्थ ने भूमि के मासिक पट्टे के किराए में वृद्धि की है।

प्रत्येक तीन वर्ष के बाद 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ Rs.1750/- से Rs.10000/- तक का प्रश्न. ई. एफ. डीलरशिप की समाप्ति की तारीख और मध्यस्थ ने पट्टे की अवधि को 29 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष और 11 महीने कर दिया है।

अपील की अनुमति दी गई।

निधि जैन और अमरेंद्र कुमार

(सहायकः इराम जान, एलसीआरए)